कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री बसन्त कुमार पारीक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आस्टी कला, गोविन्दगढ जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आकली, शिव जिला बाडमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री बसन्त पारीक द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3208/2019 बसन्त पारीक बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3208/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 द्वारा अपीलार्थी की अपील को ग्राह्यता के प्रक्रम पर स्वीकार कर आक्षेपित आदेश आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित (REMAND) करते हुए अपीलार्थी को तीन स्थानों के नाम सहित अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर 15 दिवस के भीतर निस्तारित करने और उक्त निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन सहायक निदेशक, स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर, या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटवा, कुचामन सिटी, नागौर अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारिया, कुचामन सिटी जिला नागौर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों /परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के बिन्दु संख्या 1.7 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों से प्राप्त स्थानान्तरण प्रकरणों को प्राथमिकता प्रदान किये जाने के अनुसरण में श्री बसन्त कुमार पारीक, प्रधानाचार्य का पदस्थापन/समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारिया, कुचामन जिला नागौर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। श्री बसन्त कुमार पारीक को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में तत्काल अपने नवीन समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचना का शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/बसन्त पारीक/अपील/3208/2019 दिनांक 20.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री बसन्त कुमार पारीक के नवीन समायोजन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सी.सी.ए–17 में**

अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

✓ संयुक्त निदेशक(कार्मिक)